स्पीड पोस्ट

SPEED POST

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. VS/7/2018/STGBH/DELAAL/RU-III दिनांकः 22–11–2019

सिटिंग नोटिस

विषयः अनुसूचित जनजाति के जमीन पर गैर जनजाति व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से जाली कागजात बनाकर मालिकाना दावेदारी करने के सम्बन्ध में – श्री वकील साह पुत्र श्री स्व. फुलेना साह ग्राम घोघियां, पो. व थाना मशरख, जिला सारण, छपरा (बिहार) का अभ्यावेदन।

संदर्भ : इस आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.09.2018 एवं स्मरण पत्र दिनांक 16.11.2018, 19.12.2018 और सिटिंग नोटिस पत्र संख्या 12.07.2019

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री हर्षद भाई चुनिलाल वसावा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के सिटिंग कक्ष में दिनांक 11–12–2019 को 12.30 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक

सेवा में,

जिला कलेक्टर,
जिला छपरा,
(बिहार)

o/c 8686-87 22/11/19

प्रतिलिपिः

श्री वकील साह पुत्र श्री स्व. फुलेना साह,
ग्राम घोघियां, पो. व थाना मशरख,
जिला सारण, छपरा (बिहार)